बीस रुपये

राजस्व पुनरीक्षण क. : /2018

माननीय राजस्व मण्डल, म.प्र., ग्वालियर के समक्ष

निगरानी–4482/2018/इंदौर/भू.२५

श्री कापिल आदि अभिभाषक द्वारा 17-7-18 को पेश किया B 17-7-18 45097

1– श्रीमती नर्मदाबाई पति स्व. खेमाजी राजपूत,
आयु 75 वर्ष, धंधा कृषि

2– गुलाबसिंह पिता खेमाजी राजपूत,
उम्र 40 वर्ष, धंधा खेती

दोनों का निवास ग्राम कैलोद करताल,
तहसील व जिला इन्दौर —— प्रार्थीगण

विरूद्ध

श्रीमती केशरबाई पति लीलाधर,
उम्र करीब 50 वष्र, धंधा खेती
निवासी ग्राम कैलोद करताल
तहसील व जिला इन्दौर —— अनावेदक

प्रकरण सीमांकन बाबद

निगरानी आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भूराजस्व संहिता

राजस्व निरीक्षक, वृत्त , ग्राम कैलोद करताल, तहसील व जिला इन्दौर द्वारा ग्राम कैलोद करताल की भूमि सर्वे नंबर 178 रकबा 0.364 हेक्टेयर के सीमांकन बाबद जारी सूचनापत्र दिनांक 20.06.2018 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर प्रार्थी यह पुनरीक्षण याचिका निम्न तथा अन्य आधारों पर नियत अवधि में सादर प्रस्तुत करता है–

निगरानी के आधार

1– यह कि, विद्वान अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन का आदेश विधि विधान तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पूर्णतः प्रतिकूल होने से स्थिर रखे जाने योग्य नही है।

अविरत....2 पर

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 4492-PBR/18

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-7-2018	आवेदकगण की ओर से श्री कपिल यादव, अभिभाषक उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया । आवेदकगण द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त 1 तहसील जूनी जिला इन्दौर द्वारा जारी सूचना पत्र के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 18-6-2018 को जारी सूचना पत्र में अनावेदिका की भूमि का दिनांक 20-6-2018 को सीमांकन किये जाने की सूचना आवेदक पक्ष सहित अन्य पड़ोसी कृषकों को गई है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । आवेदकगण को सीमांकन कार्यवाही में आपत्ति करने का अवसर उपलब्ध होगा, जहां वह सीमांकन कार्यवाही में उपस्थित होकर आपत्ति कर सकते हैं । अतः राजस्व निरीक्षक द्वारा जारी सूचना पत्र में इस स्तर पर हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	